भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 900

गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता</u>

900. श्री रोड़मल नागरः
श्री तीरथ सिंह रावतः
श्री राजेन्द्र अग्रवालः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्रीमती रंजीता कोलीः
डॉ. मनोज राजोरियाः
श्री राजेश वर्माः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री हँसमुखभाई एस. पटेलः
श्री सुदर्शन भगतः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दशक के दौरान भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में किस प्रकार से प्रगति हुई है;

(ख) हाल के वर्षों में देश की नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए कौन से कारकों ने प्रेरित किया है;

(ग) क्या वर्ष 2013-14 से देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क): स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता मार्च, 2014 में 76.37 गीगावाट थी, जो बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 178.98 गीगावाट हो गई है, अर्थात, 2.34 गुना वृद्धि हुई है।

(ख): देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए/उपाय किए हैं:

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,

- वर्ष 2029-30 तक, वितरण कंपनियों सहित नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म संसाधनों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित करना,
- बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना हेतु भूमि एवं पारेषण उपलब्ध कराना,
- प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना,
- ग्रिड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन विद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके,
- हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमावली, 2022 के जरिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना जारी करना,
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली (एलपीएस नियमावली)" को अधिसूचित करना,
- एक्सचेंज के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई,
- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली अक्षय विद्युत बोलियों के लिए निर्धारित ट्रेजेक्टरी को अधिसूचित करना। इस ट्रेजेक्टरी के तहत, प्रति वर्ष 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बोलियां जारी की जाएंगी।

(ग): सौर विद्युत स्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 2820 मेगावाट थी, जो बढ़कर अक्तूबर, 2023 में 72002 मेगावाट हो गई है अर्थात् लगभग 25.54 गुना वृद्धि हुई है।

(घ): सरकार 40,000 मेगावाट समग्र क्षमता के कम-से-कम 50 सौर पार्कों के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों के विकास के लिए योजना कार्यान्वित कर रही है। दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 12 राज्यों में 37,490 मेगावाट समग्र क्षमता के 50 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

*****